116

# झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्, राँची

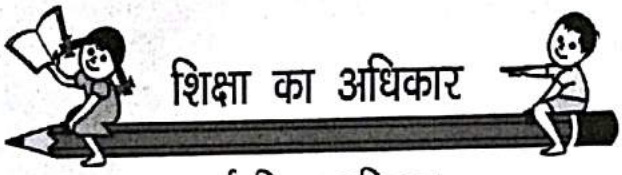


सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

## राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक की कार्यवाही
## (दिनांकः 10 मई, 2019)

राज्य परियोजना कार्यालय
जे.एस.सी.ए. स्टेडियम रोड, जगन्नाथपूर, सेक्टर - 3, धुर्वा, राँची - 834004
फोन न.: 0651-2444502 फैक्स न.: 2444506
ई-मेलः jepcranchi1@gmail.com Website : www.jepc.nic.in

Scanned by CamScanner

# झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्

## वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2019–20 से संबंधित राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक की कार्यवाही

झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् की राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 10 मई, 2019 को पूर्वाहन 11.30 बजे मुख्य सचिव–सह–अध्यक्ष, राज्य कार्यकारिणी समिति की अध्यक्षता में मुख्य सचिव के सभागार में संपन्न हुई । राज्य परियोजना निदेशक–सह–सदस्य सचिव द्वारा समिति के समक्ष समग्र शिक्षा की वर्ष 2019–20 की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट को मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार को उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर सहमति हेतु राज्य कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया । बैठक में उपस्थित सदस्यों की सूची कार्यवाही के साथ अनुलग्नक–'क' पर संलग्न है । बैठक की कार्यवाही निम्नवत् है–

1. झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् को वित्तीय वर्ष 2018–19 में प्राप्त राशि एवं व्यय का विवरण निम्नवत् है :

*(Rs. in lakhs)*

| Scheme | Sanction budget(incl. Spillover) | Opening balance | Fund Received | | Others receipt | Total Funds Available | Expendi-ture | Closing Balance | % of expenditue against Budget | % of expenditue against fund |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Central Share | State Share | (including opening balance) | | | | | |
| SSA | 191812.00 | 20034.44 | 69446.45 | 45533.44 | 1192.82 | 136207.15 | 130662.70 | 5544.45 | 68% | 96% |

2. झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् को वित्तीय वर्ष 2018–19 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार से केन्द्रांश एवं राज्य सरकार से राज्यांश के रूप में प्राप्त होनेवाली राशि के विरूद्ध वास्तविक प्राप्त राशि का विवरण निम्नवत् है :

*(Rs. in crore)*

| Program | Sanctioned Budget | Grant receivable against sanctioned budget after adjustment of O.B | | Commitment | | Grant Received | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | GoI | State | GoI | State | GoI | State |
| SSA (Ele.) | 1392.01 | 882.18 | 588.12 | 679.42 | 452.94 | 679.90 | 453.26 |
| SSA (Sec.) | 507.15 | 138.05 | 92.03 | 53.00 | 35.33 | 4.34 | 0.00 |
| SSA (TE) | 18.95 | 10.41 | 6.94 | 2.79 | 1.86 | 1.71 | 1.14 |
| Total | **1918.11** | **1030.64** | **687.09** | **735.21** | **490.14** | **685.95** | **454.40** |

उपर्युक्त राशि में से सर्व शिक्षा अभियान के पूर्व वर्षों की अवशेष राशि रू. 25 करोड एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के रू. 8.50 करोड़ केन्द्रांश के रूप में प्राप्त राशि सम्मिलित है । इसके तहत की गई गतिविधि की भौतिक/वित्तीय स्थिति प्रस्तुत की गई । प्रमुख गतिविधि निम्न थी :–

i. प्रथमवार स्कूल ड्रेस के साथ स्वेटर भी दिया गया ।
ii. Test Book की आवश्यकता को rationalize कर रू. 25 करोड़ की बचत की गई ।
iii. विभिन्न विभाग एवं योजनाओं से समन्वय कर राशि की बचत की गई ।



Scanned by CamScanner

iv. Teacher Training का need Assessment (TNA) प्रथमवार किया गया । लगभग 90 हजार शिक्षक प्रशिक्षित हुए ।

v. PGI तथा अन्य parameter पर सुधार हुआ ।

vi. Biometric teachers attendance से 90% से अधिक उपस्थिति ASER 2018 में पाया गया है।

vii. ज्ञान सेतु तथा e-Vidyavahini से विद्यालय की Accountability तथा शिक्षा गुणवत्ता में सुधार हुआ है ।

viii. कक्षा 8, 9 एवं 11 का प्रथमवार OMR पर विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया गया ।

ix. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय समागम का स्कूल, प्रखण्ड, जिला, राज्य स्तर पर आयोजन किया गया ।

x. स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार राष्ट्रीय बैंड प्रतियोगिता, Inspire Award, आकांक्षा के तहत JEE Main 2019 में उत्कृष्ठ उपलब्धि प्राप्त की गई ।

xi. 4312 विद्यालयों के सुदृढ़ीकरण हेतु उन्हें निकटवर्त्ती विद्यालयों में विलय किया गया ।

xii. कक्षा 3 से 9 के बच्चों के सीखने के प्रतिफल में वृद्धि के लिए "ज्ञानसेतू" नामक निदानात्मक शिक्षा कार्यक्रम संचालित किया गया है जिसमें लगभग 28 लाख बच्चे लाभान्वित हुए हैं ।

xiii. 64000 पारा शिक्षकों का मानदेय, 34168 विद्यालय विकास अनुदान, 203 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के संचालन हेतु राशि का हस्तांतरण पी.एफ.एम.एस. के माध्यम से सीधे किये गये ।

xiv. 1828 ग्राम पंचायतों को शून्य ड्रॉप आउट पंचायत घोषित किया गया जिसकी संपुष्टि हेतु तृतीय पक्ष द्वारा 182 पंचायतों में सामाजिक अंकेक्षण Random Sampling method से कराया गया है । परिणाम उत्साहवर्धक है ।

xv. भारत सरकार द्वारा घोषित स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार में झारखण्ड के तीन विद्यालय चयनित होकर पुरस्कृत किये गये जिसके आधार पर सभी राज्यों में झारखण्ड का स्थान तीसरा रहा ।

xvi. प्रारंभिक शिक्षा में गुणवत्ता विकास के लिए 14 प्रतिष्ठित गैर–सरकारी संस्थाओं के साथ वित्त रहित एकरारनामा किया गया है जो विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग दे रहे हैं ।

उक्त के क्रम में निम्न निदेश प्राप्त हुआ :–

i. माध्यमिक एवं उच्चत्तर माध्यमिक कक्षाओं में नामांकन एवं ठहराव को बढावा दिया जाए ।

ii. स्थानीय Art, Culture, पर्व–त्यौहार, स्वतंत्रता सेनानी आदि को पाठ्यक्रम में समुचित स्थान दिया जाए ।

iii. प्रयोग के तौर पर शहरी क्षेत्र के विद्यालयों को निजी प्रबंधन के अधीन गुणवत्त शिक्षा हेतु संचालित किया जाए ।

iv. छात्रों का सीखने की संप्राप्ति का Bench Marking/Base line जुलाई में करके, वार्षिक परीक्षाफल के आधार पर विद्यालय/शिक्षक का मूल्यांकन कर फलाफल के आधार पर नीति तैयार की जाए ।

v. JEPC-JCERT-JAC OMR आधारित Bench Mark मूल्यांकन जुलाई 2019 में आयोजित करेंगे ।



Scanned by CamScanner

183

3. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के लिए बजट स्वीकृत करने के बाद अनुमान्य केन्द्रांश विमुक्त नहीं किया जा रहा है । विगत चार वर्षों में स्वीकृत राशि एवं प्राप्ति का विवरण निम्नवत् है :

(Rupees in lakhs)

| Year | Approved Outlay | Amount Released | | | State share due as per GOI release | Year wise excess State share release |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | GOI | State | 13 FC Award | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2014-15 | 193794.50 | 75775.18 | 56650.00 | 36900.00 | 40802.02 | 15847.98 |
| 2015-16 | 164930.29 | 55863.31 | 47717.00 | 0.00 | 37242.21 | 10474.79 |
| 2016-17 | 156659.35 | 50945.73 | 57936.18 | 0.00 | 33963.82 | 23972.36 |
| 2017-18 | 153544.08 | 58984.54 | 40000.00 | 0.00 | 39323.03 | 676.97 |
| Total Excess State Share | | | | | | 50972.10 |

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है वित्तीय वर्ष 2014–15 से वित्तीय वर्ष 2017–18 तक केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रांश के रूप में निर्गत की गई राशि के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा राज्यांश की राशि अधिक निर्गत की गई है जिसका विवरण उपरोक्त कॉलम 7 में द्रष्टव्य है । कॉलम 3 में केन्द्रांश के रूप में निर्गत राशि के अनुरूप राज्यांश की राशि का उल्लेख कॉलम 6 में दिया गया है जबकि वास्तविक निर्गत राशि का विवरण कॉलम 4 में दिया गया है । विगत 4 वर्षों में राज्यांश के रूप में रू. 50972.10 लाख राज्य सरकार द्वारा अधिक निर्गत किया गया है जिसे विभिन्न गतिविधियों में व्यय किया जा चुका है । भारत सरकार ने अपना स्वीकृत अंश विमुक्त नहीं किया है ।

उपर्युक्त के आलोक में मुख्य सचिव के द्वारा निदेशित किया गया कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार को इस आशय की सूचना देते हुए उपर्युक्त के विरूद्ध राशि निर्गत करने हुए पत्र प्रेषित की जाय ।

4. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक No.2-1/2019-IS-2 दिनांक 01.05.2019 द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 में इस राज्य के लिए निम्न राशि कर्णाकित किये जाने की सूचना दी गई है :–

| | | |
|---|---|---|
| I. | Elementary | Rs. 1702.22 Cr. |
| II. | Secondary | Rs. 67.56 Cr. |
| III. | Teacher Education | Rs. 4.62 Cr. |
| | **Total** | **Rs. 1774.41 Cr.** |

5. झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् द्वारा राज्य में वित्तीय वर्ष 2019–20 में समग्र शिक्षा के संचालन (प्रारंभिक, माध्यमिक एवं शिक्षक शिक्षण योजना) संचालन हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार को स्वीकृति हेतु भेजे जाने वाले बजट का निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया । इसमें उक्त पर सहमति दी गई विशेषकर Smart Classes, Integrated तथा बड़े विद्यालयों के विकास तथा 51 विद्यालय के उत्क्रमण पर बल दिया गया जिसके 5–7 कि०मी० में विद्यालय नहीं हैं । पारा शिक्षकों के पूरे बढ़े मानदेय का प्रावधान, JCERT- DIET सुदृढ़ीकरण पर विशेष बल दिया गया है ।



Scanned by CamScanner

| Scheme Name | Total Proposed Budget (Rs. in crore) |
|---|---|
| Elementary Education | 2311.83 |
| Secondary Education | 268.33 |
| Teacher Education | 12.53 |
| Total | 2592.69 |

यह बजट प्रस्ताव तैयार करने के क्रम में Performance Grading Indicator के 75 बिन्दुओं को ध्यान में रखा गया है । जिस Indicator में राज्य की उपलब्धता कम है उसे बढाने के लिए किये जाने वाले गतिविधियों को दृष्टिपथ रखते हुए प्राथमिकता तय की गई है ।

6. अन्यान्य –

i. प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में जिले में अवस्थित विद्यालयों को पंचायत/जिला परिषद् को हस्तांतरित किया जा सकता है । प्रारंभ में इसे पायलट बेसिस पर राज्य के दो जिलों में क्रियान्वित करने हेतु नीति तैयार की जाय । जिला परिषद् को इन विद्यालयों के संचालन की पूर्ण जवाबदेही देते हुए वित्तीय उपबंध उपलब्ध कराये जाय । विद्यालयों को उनके उपलब्धि के आधार पर भविष्य में उन्हें बजट की स्वीकृति दी जाय ।

ii. जे.सी.ई.आर.टी. को निदेशित किया गया कि कक्षा 1 से 12 तक का विषयवार/कक्षावार पाठ्यक्रम तैयार किया जाय जिसमें झारखण्ड के स्वतंत्रता सेनानी, विभिन्न क्षेत्रों में झारखण्ड के स्थानीय व्यक्तियों द्वारा किये गये उल्लेखनीय कार्य, झारखण्ड की संस्कृति, झारखण्ड की कला–संस्कृति, महत्वपूर्ण त्यौहार, प्राकृतिक सम्पदा, जनजातीय संस्कृति एवं जीवनशैली संबंधी अध्याय को सम्मिलित किया जाय ।

iii. Crowd sourcing से भी गुणवत्तापूर्ण सामग्री तैयार किया जा सकता है । UNICEF-JCERT-NCERT इसमें सक्रिय सहयोग कर इसे तैयार करें ।

सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई ।

10/05/19

(उमा शंकर सिंह)
राज्य परियोजना निदेशक–सह–
सदस्य सचिव, राज्य कार्यकारिणी समिति,
झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्, राँची

10/05/19

(अमरेन्द्र प्रताप सिंह)
प्रधान सचिव,
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची

10/5/19

(डी०के०तिवारी)
मुख्य सचिव–सह–अध्यक्ष,
राज्य कार्यकारिणी समिति,
झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्, राँची

Scanned by CamScanner